

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक- 2426 /15-1, पीलीभीत, दिनांक 27/09/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
 पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषय :-

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर- बिलसण्डा मार्ग संख्या- 62 पी०ए० के चैनेज 14.346 से 14.381 चौथी पट्टी पर ग्राग घरखौला, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत में स्वित छसरा/गाटा संख्या- 568 ने रिटेल आउट लेट/ पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वाणिज्यी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/31275/2018)

सन्दर्भ :-

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ का पत्रांक- 2451/11-सी FP/UP/Others/31275/2018, दिनांक- 25.06.2019।

महोदय,


उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयक प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कर दिया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 16.07.2020 को प्राप्त हुआ है।

अतः नोडल अधिकारी के पत्रांक 2501/11सी दिनांक- 24.11.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार अनुपालन आख्या एवं प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि प्रस्ताव की मूल प्रतियां उच्च स्तर की भेजेने की कृपा करें।

Observe No.	Conditions	Status of Compliance
1	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शेड्यूल एवं बारचार्ट संलग्न है, किन्तु Non Forest Area Calculation नहीं किया गया है। अतः Non Forest Area Calculation कर संलग्न करते हुए ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड करें।	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शेड्यूल एवं Non Forest Area Calculation कर संलग्न करके हुए ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित वन भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन भाग-1 Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-1 Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड कर दी गयी है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित टोपोग्रीट संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित टोपोग्रीट अपलोड नहीं की गयी है। अतः सत्यापित टोपोग्रीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की सत्यापित टोपोग्रीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दी गयी है।
5	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
6	प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बढी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बढी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।

7	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लौ0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लौ0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
8	भारत सरकार के पत्रांक - 11-268/2014-एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	भारत सरकार के पत्रांक - 11-268/2014-एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर ऑनलाइन अपलोड कर संलग्न है।
9	वन अधिकार अधिनियम - 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत गिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन अपलोड भाग - 2 में अपलोड प्रमाण पत्र में पत्रांक व तिथि अंकित नहीं है। अतः एक समान प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग - 2 में अपलोड करें।	वन अधिकार अधिनियम - 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत गिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में पत्रांक व तिथि अंकित कर ऑनलाइन भाग - 2 में अपलोड कर संलग्न है।
10	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः यकी हुई वैधता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग 2 में अपलोड करें।	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग - 2 में अपलोड कर दिया गया है।
11	मलया उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation Plan जो प्रभागीय निदेशक प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न है किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं संलग्न किया गया है। अतः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	मलया उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation Plan जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
12	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है। अतः गजट नोटिफिकेशन चिन्हित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	गजट नोटिफिकेशन में मार्ग चिन्हित कर संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
13	वन विभाग, जउआ0 शासन सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों में मान्य होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग, जउआ0 शासन सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों में मान्य होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
14	सी0डी0 में प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल Geo Referenced Digital Map & Toposeet Upload नहीं है।	सी0डी0 में प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल Geo Referenced Digital Map & Toposeet Upload कर दिया गया है।
15	ऑनलाइन भाग -2 में के0एम0एल0 फाइल 2 बार अपलोड की गयी है। अतः एक के0एम0एल0 फाइल डिलीट करें।	ऑनलाइन भाग -2 में के0एम0एल0 फाइल 2 बार अपलोड की गयी थी जिसमें एक के0एम0एल0 फाइल डिलीट कर दी गयी है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

 (संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
 वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक- /15-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि परिष्कृत प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, 35ए कमला नेहरू मार्ग बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
 वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत